

प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक—11.08.2023 (सं०—३६८)



अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु Non-Functional थाना/ओ०पी०/टी०ओ०पी० को Functional बनाने के सम्बन्ध में।

- बिहार पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने के साथ जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाये रखने के लिए सदैव तत्पर है।
- पूर्व में किसी भी नगर के अथवा ग्रामीण थाने में दूरवर्ती स्थानों में गश्ती, निगरानी तथा सामान्यतः अपराधों के निरोध के लिए आरक्षी चौकियाँ (टी०ओ०पी०) खोली गयी थीं, परन्तु कालांतर में इनकी सक्रियता नगण्य हो गई थी। पुनः आम जनों के बीच पुलिस की प्रभावी उपस्थिति बनाने, अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के Non-Functional थाना/ओ०पी०/टी०ओ०पी० को Functional बनाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में पर्याप्त पुलिसकर्मी/पदाधिकारी तैनात किये गये हैं।

1. थाना—

- 07 (सात) थानें जो कार्यरत नहीं थे उन्हें क्रियाशील किया गया है।
- 51 अन्य Non-Functional थाना को Functional बनाने का निर्णय लिया गया है।
- इनमें 35 थानों का भवन निर्माणाधीन है।
- 05 थानों का क्षेत्राधिकार निर्गत नहीं होने के कारण वर्तमान में ओ०पी० के रूप में कार्यरत है।
- कुछ थानों के भवन के लिए भूमि चिन्हित एवं अधिगृहित करने की कार्रवाई चल रही है। इस कार्य को शीघ्र हीं पूरा किया जा रहा है।

कार्यरत (क्रियाशील) किये गये थाने

क्र०सं०	जिला	संख्या	थाने का नाम
1	पटना	05	1. इमामगंज, 2. पिपलावां (पितवास), 3. पंचरुखिया, 4. पियरपुरा एवं मुसल्लहपुर
2	शेखपुरा	01	बउघाटा
3	समस्तीपुर	01	कर्पूरीग्राम
	कुल	07	

2. ओ०पी०—

- **09 (नौ) अधिसूचित ओ०पी०** जो Functional नहीं हैं, उन्हें **Functional** बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें 05 ओ०पी० का भवन निर्माणाधीन है एवं शेष के लिए भूमि चिन्हित/अधिगृहित करने की कार्रवाई चल रही है।

3. टी०ओ०पी०—

- गत **02 महोनों** में **16 जिलों** के **96 टी०ओ०पी०** को कार्यरत किया गया है जिसमें **पटना जिलान्तर्गत 53 टी०ओ०पी०** कार्यरत है।
- इन टी०ओ०पी० में 1 पदाधिकारी/हवलदार एवं 3–4 सिपाही तैनात किया जा रहा है। उनके लिए बीट/वार्ड के अनुसार क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
- टी०ओ०पी० में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी विभिन्न कार्य करेंगे, जिनमें मुख्य निम्न हैं:—
- अपने क्षेत्रान्तर्गत सघन गश्ती एवं पेट्रोलिंग।
 - बैंक/ए०टी०एम०, डाकघर इत्यादि की सुरक्षा के लिए चेकिंग।
 - वारण्ट, समन, द०प्र०स० 107 के नोटिस का तामिला।
 - क्षेत्रान्तर्गत जनता की शिकायत सुनना एवं अंकित करना।
 - सम्बद्ध थाना को क्षेत्र के खैरियत से अवगत कराना।

क्र०सं०	जिला	टी०ओ०पी० की संख्या
1	पटना	53
2	मुजफ्फरपुर	12
3	वैशाली	5
4	कटिहार	5
5	बांका	3
6	गोपालगंज	3
7	जमुई	2
8	मधुबनी	2
9	भोजपुर	2
10	भभुआ	2
11	बक्सर	2
12	मोतिहारी	1
13	किशनगंज	1
14	लखीसराय	1
15	खगड़िया	1
16	अरवल	1
	कुल	96

XXXXXXXX